खाकी

मुंह में राम बगल में नीतीश कुमार

विकास नारायण राय

बिहार ने जंगल राज के टैग से 15 वर्ष पहले छुटकारा पा लिया था। चुनाव के नतीजों से लगता है, अब उसे एक फ़ासिस्ट राज को भुगतना होगा।

नीतीश शासन की विगत पारी में ही कानून-व्यवस्था लचर हो चली थी, आने वाली पारी में यह दिशाहीन भी होने जा रही है। हालिया चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में नीतीश कुमार और भाजपा के असहज हो चुके सम्बन्धों को परिभाषित करने वाले एक निर्णायक क्षण को याद कीजिये। भाजपा के स्टार प्रचारक, भगवा फायर ब्रांड, योगी आदित्यनाथ ने साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण का कार्ड खेलते हुए सीएए-एनआरसी की राह से 'घुसपैठियों' को देश से निकालने का निश्चय दोहराया और अगले ही दिन जवाब में मंच से नीतीश की ललकार आयी कि देखते हैं हमारे 'लोगों' को कौन देश से बाहर कर सकता है। नीतीश अभी एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में थे। चुनाव के नतीजों ने उन्हें भाजपा के छोटे भाई की भूमिका में पहुंचा दिया है। अब भी वे मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे लेकिन ऐसी ललकार देने की स्थिति में नहीं होंगे।

पुरानी कहावत 'मुंह में राम बगल में छुरी', बिहार में चुनाव उपरान्त 'मुंह में राम बगल में नीतीश कुमार' हो गयी है। भाजपा के साथ नई सरकार के मुखिया के रूप में नीतीश के राजनीतिक कद में कटौती का स्वाभाविक असर प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर पड़ेगा। एक खींच-तान वाली शासन व्यवस्था में बेशक गृह मंत्रालय नीतीश के पास ही बना रहे लेकिन राज्य की पुलिस को भाजपा के हिंदुत्व मानदंडों पर भी खरा उतरना होगा।

आश्चर्य नहीं, मुस्लिम-द्वेषी सीएए / एनआरसी और स्त्री-द्वेषी रोमियो स्क्वाड / लव जिहाद जैसे संघी एजेंडे समय-समय पर सामाजिक फिजां में साम्प्रदायिक एवं लैंगिक जहर घोलते मिलें और जातिवादी द्वेष प्रशासनिक संरक्षण में पनपता रहे जबकि बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्थिति से मुंह चुराना पड़े।

चुनाव में एनडीए की जीत बेहद करीबी रही लेकिन उसके घटक भाजपा को एक बड़ी जीत मिली। दो टूक कहें तो भाजपा की चुनावी स्क्रिप्ट को अब लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे नीतीश कुमार की गठबंधन सरकार में खुल कर खेलने का अवसर मिलेगा। भाजपा को मिली बड़ी चुनावी सफलता में ही उसकी त्रि-आयामी स्क्रिप्ट की धार में तेजी आने के संकेत भी निहित हैं। कैसी दिखेगी यह स्क्रिप्ट? नीतीश की पीठ में छुरा और सिर पर ताज होगा; ओवैसी के रूप में उत्तर भारत में एक वोकल मुस्लिम पार्टी के राजनीति में पदार्पण से साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण को बल मिलेगा;

नीतीश की पीठ में छुरा और सिर पर ताज होगा

हिंदुत्व के शरीर में जातिवादी आत्मा को फलने-फूलने के लिए भरपूर प्रशासनिक सहारा रहेगा।

प्राय:, भाजपा का कॉर्पोरेट एजेंडा उस तरह चर्चा में नहीं जगह पाता जैसे कि उसका प्रत्यक्ष साम्प्रदायिक एजेंडा। जबकि पार्टी कॉर्पोरेट हितों के पोषण और संरक्षण को लेकर भी कम आक्रामक नहीं कही जा सकती। सारे देश में पाए जाने वाले बिहारी श्रमिकों के लिए स्वयं उनके गृह राज्य में रोजगार क्यों नहीं है? यहाँ तक कि कोविद जैसी महामारी की व्यापक मार से शुरू हुआ इन श्रमिकों का रिवर्स माइग्रेशन भी ज्यादा दिन नहीं टिक सका। इस नीतिगत आक्षेप को भी समझना चाहिए कि लम्बे समय से बिहार को सस्ते श्रम के स्रोत-राज्य की भूमिका में जान-बूझकर रखा गया है।

अगर लालू शासन के 15 वर्ष विकास-विहीन रहे तो नीतीश कुमार के 15 वर्ष रोजगार-विहीन। इस चुनाव में, एक दूसरे पर वार करने के क्रम में, नीतीश का एनडीए विकास की और तेजस्वी का महागठबंधन रोजगार की बात यूँ ही नहीं मतदाताओं के बीच ले कर जा सका।

बिहार की कानून-व्यवस्था की बात हो और लालू दौर के 'जंगल राज' की बात न हो, यह संभव नहीं। इस चुनाव प्रचार में भी साफ़ था कि बिहार में 'जंगल राज' एक ऐसा सर्व स्वीकृत रूपक बन चुका है जिसे जब चाहे लालू निंदा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालाँकि, युवा तेजस्वी ने इसे 'रोजगार राज' के विमर्श में बदलने की शुरुआत कर दी है। भाजपा, जो बिहार में अगली नीतीश सरकार को ड्राइव करेगी, ने 'आत्मनिर्भर बिहार' का नारा जरूर दिया है लेकिन उसका अपने सरकारी रोजगार-विहीन विकास के मॉडल में जमीनी बदलाव करने का जरा भी इरादा नहीं दिखता।

यानी राज्य वासियों को आगामी एनडीए शासन की कानून-व्यवस्था में 'जंगल राज' के दौर की ऐतिहासिक विसंगति के स्तर पर ही जीना होगा। तब सामाजिक न्याय का आवरण उनकी आँखों पर पर्दे की तरह काम करता था। अब, सुशासन बाबू की छाया रह गए नीतीश कुमार के शिखंडी नेतृत्व में उन्हें 'जंगल राज' की वापसी से डराया जाता रहेगा और, दरअसल, जंगल राज से भी कई गुना बदतर एक फासिस्ट राज के लिए तैयार किया जाता रहेगा।

(पूर्व डायरेक्टर, नेशनल पुलिस अकादमी,

राष्ट्रीय

सोशल मीडिया पर नकेल... खुश तो बहुत होंगे आप लोग

यूसुफ किरमानी

बिहार चुनाव के नतीजे जब आ रहे थे तो उसी दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने चुपचाप एक काम और कर डाला। वह था सोशल मीडिया पर सेंसरशिप का। देश के अधिकांश न्यूज चैनल और अखबार पहले से ही सरकार की गोद में बैठ चुके हैं। सोशल मीडिया थोड़ा बहुत सरकार को टक्कर दे रहा था तो अब उस पर भी नकेल कसने के लिए 9 नवम्बर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने उस अधिसूचना पर हस्ताक्षर कर दिए जिसके जरिए डिजिटल या आनलाइन मीडिया को भी अब मोदी सरकार केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के जरिये नियंत्रित करेगी। इस अधिसूचना का खुलासा जिस दिन नतीजे आ रहे थे, उसी दिन हो गया था लेकिन ताज्जुब है कि मामूली विरोध के अलावा देश के तमाम प्रबुद्ध लोग इस पर चुप है। मोदी सरकार की इस अप्रत्यक्ष सेंसरशिप का जितना विरोध होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। अभी तक किसी नामी गिरामी वकील ने इसे अदालत में चुनौती देने की बात भी नहीं कही है।

जिस गजट नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, उसमें मुख्य रूप से ओटीटी यानी ओवर द टॉप ऐसा प्लैटफॉर्म है जिस पर नेटफिलिक्स, ऐमजॉन, हॉटस्टार और अन्य कंपनियां आपको मनोरंजक कार्यक्रम, सीरियल वगैरह दिखाती हैं। अब उन्हें केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय यानी भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियम-कायदे मानने होंगे। मसलन हाल ही में पाताललोक और मिर्जापुर वेबसीरीज में जिस तरह धर्म की राजनीति पर कटाक्ष किये गये हैं, वह सरकार को पसंद नहीं आया। मोदी सरकार ने इन दोनों ही सीरियलों को उसके हिन्दुत्व के एजेंडे पर प्रहार माना। यही वजह है कि हिन्दूवादी संगठनों ने ऐसे सीरियलों पर रोक लगाने की मांग की थी।

डिजिटिल मीडिया या आनलाइन मीडिया पर नियंत्रण के लिए जारी की गई अधिसूचना का सबसे खतरनाक बिन्दु है समाचार और करेंट अफेयर्स के कार्यक्रमों का इन पर प्रसारण करने वालों को सरकार के नियमों का पालन करना होगा। यानी यूट्यूब और फेसबुक पर जो स्वतंत्र पत्रकार अपने चैनल या कार्यक्रम पेश कर रहे हैं,

ताज्जुब है कि मामूली विरोध के अलावा देश के तमाम प्रबुद्ध लोग इस पर चुप है

यूरोपियन यूनियन पाबंदी के खिलाफ

भारत में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने को लेकर भले ही कानून लागू किया गया है लेकिन यूरोपीय यूनियन नहीं चाहता है कि इंटरनेट वेबसाइट पर किसी तरह की नकेल कसी जाए। यूरोपीय संघ में विदेश नीति प्रमुख ने अपने संदेश में कहा, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानवाधिकार पर वैश्विक घोषणापत्र का प्रमुख पहलू है. इसके तहत हर किसी का अधिकार है कि वह किसी हस्तक्षेप के बिना सूचनाएं एकत्रित कर सकता है."

किसी तरह का सेंसर या अखबारों के संपादकों, लेखकों या पत्रकारों या फिर ब्लॉगरों को किसी तरह से परेशान करने को स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि इनके खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल या उन्हें गिरफ्तार करना सही कदम नहीं है।

उन पर भी मोदी सरकार शिकंजा कसना चाहती है। टीवी चैनलों और अखबार मालिकों ने जब एक साजिश के तहत मोदी विरोधी पत्रकारों को अपने-अपने संस्थानों से निकाल बाहर किया तो इनमें से तमाम पत्रकारों ने यूट्यूब और फेसबुक पर अपना चैनल शुरू कर दिया। इनमें कुछ पत्रकारों के चैनल इतने लोकप्रिय हैं कि उन्हें टीवी न्यूज चैनलों पर गला फाड़ने वाले या सरकारी ऐंकरों से ज्यादा देखा जा रहा है। रवीश कुमार और पुण्य प्रसून वाजपेयी का कार्यक्रम जैसे ही यूट्यूब और फेसबुक पर जारी होता है, उसे देखने वालों की संख्या टीवी चैनल पर देखने वाले दर्शकों से कहीं ज्यादा होती है। इसी तरह दिल्ली के पत्रकार फरहान यहिया हिन्दुस्तान एक्सप्रेस चैनल फेसबुक पर चलाते हैं। वो ज्यादातर दिल्ली पर फोकस करते हैं। उनकी रिपोर्ट इतनी तीखी होती है कि उससे दिल्ली सरकार से लेकर भारत सरकार तक परेशान रहती है। उन पर कई बार हमले हुए। लेकिन फरहान आधी रात को अपना कैमरा लेकर कहीं भी पहुंच जाते हैं। अब ऐसे आनलाइन चैनलों पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं।

मोदी सरकार की ताजा परेशानी सोशल मीडिया पर समाचार और करेंट अफेयर्स के प्रोग्राम हैं। लेकिन उसे यह मौका तब मिला जब सुदर्शन चैनल ने सिविल सर्विस परीक्षा आयोजित करने वाली यूपीएससी पर सवाल उठाया और कहा कि मुसलमान ज्यादा आईएएस, आईपीएस और एलायड सर्विसेज में आ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने ऐसे चैनलों और ऐसी सामग्री के दिखाये जाने पर सख्त ऐतराज जताया। केंद्र सरकार ने उस समय सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कानून बनाने की बात कही थी। उसने 9 नवम्बर को उसी सिलसिले में यह अधिसूचना जारी कर दी। ज्यादातर लोग मोदी सरकार की इस अधिसूचना को हल्के ढंग से ले रहे हैं। उनका मानना है कि इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण के लिए लाया गया है। लेकिन दरअसल सरकार की नजर सोशल मीडिया पर दिनरात चलने वाले समाचार और करेंट अफेयर्स कार्यक्रमों को लेकर है। सरकार की चिन्ता जनचौक, द वायर, आल्ट न्यूज, न्यूज क्लिक और द स्क्रॉल जैसी प्रखर समाचार वेबसाइट या पोर्टल भी हैं। यह बात मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि लोग कथित राष्ट्रीय या मेनस्ट्रीम मीडिया के पोर्टलों पर सस्ती कार या मोबाइल खरीदने के झांसे वाले लेख, नग्न और गंदी तस्वीरों से ऊब कर जनचौक या द वायर पर आ जाती है। आल्ट न्यूज ने जिस तरह दक्षिणपंथी गिरोहों के वीडियो की पड़ताल करके उन्हें नंगा करने का काम किया है, मोदी सरकार की चिन्ता वह पड़ताल है। इसलिए वह डिजिटल या आनलाइन मीडिया पर लगाम कसना चाहती है।

मोदी सरकार अगर डिजिटल या आनलाइन मीडिया को जिम्मेदार बनाने या जवाबदेही तय करने के लिए कोई कानून बनाती या सुझाव देती तो शायद उसकी मंशा पर शक नहीं जताया जाता। लेकिन 9 नवम्बर का गजट नोटिफिकेशन हर तरह से आनलाइन मीडिया पर सेंसरशिप की तैयारी बताती है। इंटरनेट की आजादी पर नजर रखने वाली संस्था फ्रीडम हाउस का कहना है कि पिछले तीन साल में भारत में इंटरनेट आजादी में लगातार गिरावट और सरकारी दखल को अनुभव किया जा रहा है।

जिस देश में सरकार की पसंद के हिसाब से संपादक रखे जाते हों या बदले जाते हों, उस देश में इस तरह की पाबंदी नई बात नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा ताज्जुब यह है कि जिस देश के ,मीडिया और पत्रकारों ने राजीव गांधी के शासनकाल में बिहार प्रेस बिल का विरोध किया हो, उसी देश का मीडिया और पत्रकारों का बहुत बड़ा तबका आनलाइन मीडिया, फिल्म, अन्य क्रिएटिव चीजों पर नकेल कसता हुआ चुपचाप देख रहा है। यह देश एक तरफ तो अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों की आजादी छिनने पर चिन्ता जता रहा है तो दूसरी तरफ तमाम वृद्ध एक्टिविस्ट जो जेलों में बंद हैं, उनकी गिरफ्तारी, उनकी प्रताड़नाओं पर मौन है। वृद्ध तेलगू कवि वरवरा राव, दलित विचारक आनंद तेलतुम्बड़े, मानवाधिकार कार्यकर्ता उमर खालिद, पत्रकार गौतम नवलखा, प्रशांत कन्नौजिया की आजादी के कुछ भी मायने नहीं हैं। अर्नब गोस्वामी की आजादी की चिन्ता करने वाले सुप्रीम कोर्ट को डिजिटल और आनलाइन आजादी छिनने का खतरा पैदा होने पर जरा भी अफसोस नहीं है। वह एक्टिविस्ट सफूरा जरगर को तब रिहा करता है जब उसका पति उसकी जमानत उसके प्रेग्नेंट होने का हवाला देकर मांगता है। डॉ कफील खान को महीनों बाद तब रिहा किया जाता है जब पुलिस सबूत पेश नहीं कर पाती और अदालत उनके भाषण का वीडियो टेप सुनती है। अनगिनत नाम हैं जो व्यक्तिगत आजादी मांगने पर जेलों में बंद हैं। लेकिन अदालत सिर्फ अर्नब की आजादी की परवाह करती है, उसे इंटरनेट की आजादी की परवाह नहीं है।

आनलाइन मीडिया पर सेंसरशिप का कदम किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है। दरअसल, उसका यह कदम आजाद भारत के हर उस शख्स के खिलाफ है जो सरकार की नीतियों, उसकी पहल, उसके कानूनों को शक की नजर से देखता है। आनलाइन मीडिया पर सेंसरशिप की नकेल कसने के बाद आपको कौन बतायेगा कि भारतीय बैंक किस तरह का गुल आपके पैसों के साथ खिला रहे हैं। सरकार जिस डर को आपके अंदर बैठाना चाहती है, उसका सामने करने को तैयार रहिये। अब आपको सचेत करने वाले या तो जेलों में होंगे या उनकी कलम गिरवी रखी जा चुकी होगी। अब आप अपनी चिन्ता खुद करिये।

(वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक)